

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 347 / 2014 / अजमेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त – सप्तम किशनगढ़

.....अपीलार्थी

बनाम

मै0 इण्डिया मार्बल्स
किशनगढ़

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष
श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अनिल पोखरना
उपराजकीय अभिभाषक
श्री वी. सी. सोगानी,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05 / 01 / 2016

निर्णय

अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण संख्या 127 / 12-13 / वैट / अजमेर में राजस्थान बिक्री कर अधिनियम -1994 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा – 30, 65 एवं 58 के तहत वर्ष 2005-06 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2013 के विरुद्ध पेश की गई है। उक्त अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट-सप्तम वृत्त-किशनगढ़ (जिसके आगे ‘कर निर्धारण अधिकारी’ कहा जायेगा) के द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त करने को विवादित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह मानते हुए कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 16.07.2006 को घोषणा प्रपत्र एसटी-17 संख्या 1429726 प्राप्त किया। परन्तु उक्त फार्म से 2005-06 के व्यापार खातों, विहित विवरणी इत्यादि में प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई क्य विक्य नहीं दर्शाया गया, जबकि उक्त घोषण पत्र के विरुद्ध आलौच्य अवधि 2005-06 में रु. 26,84,2001 की खरीद किया जाना पाया गया। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा-30 के तहत नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से असहमत होते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मै0 अनुपम मार्बल प्रा0 लि0

२६/१

किशनगढ से क्य किये मार्बल केजी रु 26,18,400/- की खरीद/बिक्री को असत्यापित माना तथा अधिनियम की धारा-30 व 65 के तहत पुनः नोटिस जारी किया। प्रत्युतर मे व्यवहारी के जवाब से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को करापंचन का दोषी मानते हुए उस पर कर, ब्याज व शास्ति कुल रु 14,00,320/- का आरोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रत्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त अपील स्वीकार करते हुए आरोपित कर, ब्याव व शास्ति राशि को अपास्त करते हुए निर्णय पारित किया गया। अपीलीय अधिकारी के इस निर्णय से व्यक्ति होकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मै0 अनुपम मार्बल प्रा0लि0 किशगनड से क्य किये मार्बल केजी रु0 2618400/- की बिक्री छुपाई है। विभागीय पैरोकार का कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 16.07.2006 को घोषणा प्रपत्र एसटी-17 संख्या 1429726 प्राप्त किया गया। परन्तु उक्त फार्म से वर्ष 2005-06 के लेखा खाता, व्यापार खातों, विहित विवरणी इत्यादी मे प्रस्तुत दस्तावेजों मे कोई क्य/विक्य नहीं दर्शाया गया, जबकि जांच मे पाया गया कि घोषण पत्र के विरुद्ध आलौच्य अवधि 2005-06 मे रु. 26,84,001/- की खरीद की गई है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी का यह कृत्य स्पष्ट्या करापंचन की श्रेणी में आता है तथा इसी कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त बिक्री पर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया था। विभागीय पैरोकार का कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए आरोपित राशियों को अपास्त करने मे विधिक भूल की है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि मै0 अनुपम मार्बल प्रा0 लि0 किशनगढ की बिक्री को आयकर विभाग के द्वारा मै0 अनुपम मार्बल प्रा0 लि0 के निर्धारण मे फर्जी बिक्री को अस्वीकार किया गया है तथा आयकर विभाग ने अपने आदेश मे अपीलार्थी-व्यवहारी की कोई खरीद नहीं मानी है और अपने आदेश दिनांक 29. 12.2010 मे स्पष्ट लिखा है कि –Assessee has not made any purchases from M/s Anupam Marbles Pvt Ltd has misused the declaration from and shown bogu sales

३१३

for generating cash in its books of accounts. उन्होने बहस के दौरान तर्क किया कि प्रत्यर्थी के द्वारा मैसर्स अनुपम मार्बल प्रा.लि., से वर्ष 2005-06 में किसी प्रकार से एसटी-17 व बिना एसटी-17 के कोई भी खरीद ओर बिक्री नहीं की गई है तथा इस बाबत् अपीलार्थी द्वारा वार्षिक रिटर्न-5ए प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रत्यर्थी-व्यवहारी को आयकर विभाग से ज्ञात होने पर पाया कि मैसर्स अनुपम मार्बल प्रा.लि., ने अपीलार्थी का एसटी-17 नं. 1429726 का गलत इस्तेमाल किया, प्रत्यर्थी ने इस घोषणा पत्र एसटी-17 नं. 1429726 की उसकी फर्म से किसी कर्मचारी/व्यक्तियों के द्वारा चुराना बताया, इस बाबत् प्रत्यर्थी के द्वारा शीघ्र थाना अधिकारी, मदनगंज-किशनगढ़ को व्यक्तिगत सूचना दी लेकिन उसे वाणिज्यिक कर विभाग को व आयकर विभाग को बताते हुए बाद में सूचना देने के लिये निर्देशित किया गया तो इस प्रकरण की सूचना प्रत्यर्थी के द्वारा जरिये डाक से आयकर विभाग व थाना, मदनगंज-किशनगढ़ को सूचना दी गई, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों में जारी हुई, जिसकी छांया प्रति भी कर निर्धारण अधिकारी को पेश की गई। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि मैसर्स अनुपम मार्बल प्रा.लि.के द्वारा काटे गये बिलों की जांच हेतु आयकर विभाग से बिलों की एसटी-17 नं. 1429726 की प्रतियों प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के नाम काटे गये बिलों पर एवं एसटी-17 पर हस्ताक्षर ढूप्लीकेट किये गये हैं तथा इस पर प्रत्यर्थी प्रोपराईटर/मैनेजर/किसी भी कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है इसके अतिरिक्त एसटी-17 पर प्रत्यर्थी की मोहर भी अस्पष्ट है। उनका कथन है कि मैसर्स अनुपम मार्बल प्रा.लि., की सिस्टर कन्सल्ट फर्म मैसर्स जैन एण्ड जैन स्टोन प्रा.लि., मदनगंज-किशनगढ़ (मैसर्स अनुपम मार्बल प्रा.लि., व जैन एण्ड जैन स्टोन प्रा.लि., दोनों फार्मों के प्रोपराईटर एक ही होना बताया) ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के, फर्जी घोषणा पत्र की तरह ही अन्य फर्म मैसर्स पूजा मार्बल प्रा.लि., मदनगंज-किशनगढ़ का एसटी-17 संख्या 32919 का गलत उपयोग करते हुए रु 9,10,000/- की एसटी-17 पर बिक्री दर्शकर 14 बिल काटकर कर चोरी की। इस हेतु प्रत्यर्थी द्वारा मैसर्स पूजा मार्बल प्रा.लि., का एसटी-17 व बिलों की प्रतियां भी पेश की गई तथा उन्होने बताया की प्रत्यर्थी की तरह ही मैसर्स पूजा मार्बल ने भी रिपोर्ट लिखवायी है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अग्रिम कथन किया गया कि मैसर्स अनुपम मार्बल प्रा.लि., ने प्रत्यर्थी के नाम जो बिल काटे गये हैं उन सभी बिलों में क्रेजी बतायी है तथा सभी बिलों की राशि 14 लाख से 20 लाख के बीच की होनी बतायी, जो असम्भव है। जबकि वास्तविकता के हिसाब से क्रेजी का बाजार मूल्य काटे गये बिलों में अंकित राशि से कम राशि रु. 5000/- के

लगभग होता है। आगे तर्क किया कि मैसर्स अनुपम मार्बल प्रा.लि., ने प्रत्यर्थी के नाम काटे गये बिलों में प्रत्यर्थी का टिन नम्बर, माल का वजन, माल की मात्रा, भुगतान का तरीका नगद/चैक तथा वाणिज्यिक कर जांच चौकी, किंशनगढ़ से पास/सत्यापित/बिलों पर मोहर, कांटा पार्ची, आदि अंकित नहीं किये हैं तथा यह रेग्यूलर बिल बुक नहीं होकर डूप्लीकेट बिल बुक है। इससे यह प्रमाणित होता है कि बताया गया बिल फर्जी है। उन्होने आगे तर्क किया कि प्रत्यर्थी ने इससे पहले तथा बाद में भी कभी क्रेजी की खरीद-बिक्री नहीं की है तथा ऐसा करने से प्रत्यर्थी को कर का फायदा नहीं होता तथा न ही आईटीसी का लाभ लिया है। परन्तु ऐसा करने से कर की बचत मैसर्स अनुपम मार्बल प्रा.लि., को होती है, तो ऐसा कृत्य व्यवहारी क्यों करेगा जबकि इस कृत्य से मैं 0 अनुपम मार्बल को लगभग 12 से 14 प्रतिशत की कर बचत हुई है तथा प्रत्यर्थी को किसी प्रकार का फायदा नहीं पहुंचा है। उनका कथन है कि यदि मान लिया जाये की प्रत्यर्थी के द्वारा यह खरीद बता भी दी जाती तो प्रत्यर्थी को फायदा व नुकसान नहीं होता। इस प्रकार प्रत्यर्थी पर आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अविधिक बताया। अपने तर्क के समर्थन में – Hon'ble Supreme Court in the case of m/s J.k. Industries. न्यायिक निर्णय का उद्धरण पेश किया। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रत्यर्थी ने उक्त तर्कों व लिखित में पेश दस्तावेजों के साक्ष्यों के आधार पर प्रत्यर्थी का किसी प्रकार का दोषी मनोभाव प्रमाणित नहीं होने के कारण प्रत्यर्थी की अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार की गई जो पूर्णतया उचित है। अपने कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों की बहस एवं तर्कों पर मनन किया तथा विभागीय पत्रावली का अवलोकन किया गया।

कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी ने वर्ष 05–06 में घोषणा पत्र एसटी-17 1429726 के जरिये मैसर्स अनुपम मार्बल प्रा.लि., से कुल 15 बिलों से माल क्रेजी कीमतन रु. 26,18,400/- की खरीद-बिक्री की जाकर उसे लेखा-पुस्तकों से छुपाया जाना मानते हुए कर, ब्याज व शास्ति आरोपित की। इस संबंध में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने विवरण पत्र एसटी-5ए में ऐसी कोई खरीद-बिक्री की घोषणा नहीं दर्शायी तथा मैसर्स अनुपम मार्बल प्रा.लि., के द्वारा प्रत्यर्थी को उक्त घोषणा पत्र एसटी-17 से बिक्री की जानकारी जरिये आयकर विभाग द्वारा मैसर्स अनुपम मार्बल प्रा.लि.,

के निर्धारण आदेश से ज्ञात हुआ, तथा इस पर प्रत्यर्थी ने शीघ्र इसकी सूचना पुलिस विभाग को कर दी थी। प्रत्यर्थी को पूर्व में उक्त एसटी-17 के गुम होने की जानकारी नहीं थी चूंकि प्रत्यर्थी को इन घोषणा पत्रों की रोजाना आवश्यकता नहीं होती है। व्यवसाय में खरीद-बिक्री का सौदा होता है तब-तब घोषणा पत्र को काम में लिया जाता है और उक्त घोषणा पत्र का नम्बर 1429726 है तथा शेष क्रमांक के फार्म का हिसाब प्रत्यर्थी ने दिया है जो विभागीय पत्रावली के पृष्ठ संख्या 57 पर विवरण अंकित है। प्रत्यर्थी के एसटी-17 घोषणा पत्र क्रमांक 1429726 निरस्त किया हुआ, विभागीय पत्रावली के पृष्ठ संख्या 58 पर अंकित है। उक्त घोषणा पत्र खोने/चुराने की जानकारी प्रत्यर्थी को पूर्व में ज्ञात नहीं थी और प्रत्यर्थी को ज्ञात होते ही उक्त घोषणा पत्र एसटी-17 की खरीद-बिक्री को फर्जी करार दिया। प्रत्यर्थी के उक्त घोषणा पत्र को प्रत्यर्थी की फर्म से मैसर्स अनुपम मार्बल प्रा.लि., ने प्रत्यर्थी के किसी कर्मचारी को लालच में लेकर अथवा किसी भी षड्यन्त्र पूर्वक हासिल कर मैसर्स अनुपम मार्बल प्रा.लि., ने यह कृत्य किया जाना प्रतीत होता है। चूंकि मैसर्स अनुपम मार्बल प्रा.लि., ने माल विक्रय करते समय माल क्रेजी के क्रेता के टिन नम्बर अंकित नहीं किये तथा क्रेजी के बिलों की राशि का वास्तविक बाजार मूल्य से अधिक की राशि के बिल काटे जो सत्यता नहीं दर्शाता है। मैसर्स अनुपम मार्बल के द्वारा बिक्री बिलों में प्रत्यर्थी की मोहर भी स्पष्ट अंकित नहीं पायी जाती तथा हस्ताक्षर प्रत्यर्थी की फर्म से मिलान नहीं होना पाया जाता है। मैसर्स अनुपम मार्बल प्रा.लि., ने बिलों में बिक्रित माल का वजन/मात्रा का अंकन नहीं किया है इससे यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अनुपम मार्बल प्रा.लि., ने यह बिक्री बिल का सही सौदा नहीं होने की स्थिति में यह त्रुटियां की है। प्रत्यर्थी-व्यवहारी का आयकर विभाग द्वारा वर्ष 2006 का निर्धारण आदेश दिनांक 29.12.2010 किया गया है उसमें प्रत्यर्थी को दोषी नहीं मानकर उक्त मैसर्स अनुपम मार्बल प्रा.लि., के द्वारा प्रत्यर्थी के नाम की बिक्री को गलत मानकर कार्यवाही को ड्रोप किया है तथा आयकर विभाग ने प्रत्यर्थी के उक्त घोषणा पत्र एसटी-17 की खरीद-बिक्री को गलत माना जा चुका है, इससे प्रत्यर्थी पर कोई दोष सिद्ध नहीं होता है। प्रत्यर्थी ने घोषणा पत्र एसटी-17 विभाग से प्राप्त किये हैं, प्रत्यर्थी को उन सभी प्राप्त घोषणा पत्र एसटी-17 की विगत का हिसाब विभाग में देना होता है तो प्रत्यर्थी इस एसटी-17 के सौदे को क्यों छुपायेगा ? प्रत्यर्थी-व्यवहारी पर प्रत्येक घोषणा पत्र एसटी-17 से किन-किन व्यवहारियों से कितना-कितना माल खरीद किया आरएसटी नम्बर वाहन संख्या विभागीय चैक पोस्ट से बिल पास होने आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से

विभाग को देने की जिम्मेदारी होने पर प्रत्यर्थी—व्यवहारी ऐसा कृत्य क्यों करेगा। साधारणतः प्रत्यर्थी के द्वारा विभाग में सभी घोषणा पत्रों का हिसाब देते वक्त यदि घोषणा पत्र हिसाब के समय कम पाया जाता है तो प्रत्यर्थी के द्वारा खोये हुए घोषणा पत्र के द्वारा की गई खरीद बिक्री को रद्द मान लिया जाता है। प्रत्यर्थी को विभाग से तभी नये घोषणा पत्र मिलते हैं जब अपीलार्थी के द्वारा पूर्व में लिये घोषण पत्रों का हिसाब विभाग को देता है तो ऐसी स्थिती में प्रत्यर्थी व्यवहारी ऐसे घोषणा पत्र की बिक्री को क्यों छुपाता। मै0 अनुपम मार्बल प्रा0 लि0 ने अपने द्वारा काटे गये बिलों में क्रेता के टिन नम्बर भी अंकित नहीं किये तथा विभाग द्वारा संचालित जांच चौकी किशनगढ़ पर बिलों को पासिंग भी नहीं करवाये हैं तथा वाहन संख्या भी अंकित नहीं किये हैं। इन तथ्यों पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई गौर नहीं करते हुए मात्र मै0 अनुपम मार्बल प्रा0 लि0 का प्रकरण आयकर विभाग द्वारा मामला उजागर होने मात्र से मांग आरोपित कर दी गयी। प्रत्यर्थी व्यवहारी की खरीद बिक्री को प्रमाणित नहीं किये जाने के बावजूद प्रत्यर्थी पर करापवंचन दोषी मानकर जो करारोपण कर जो करारोपण किया गया है वह उचित प्रतीत नहीं होता है।

मैसर्स अनुपम प्रा.लि. के द्वारा काटे गये विक्रय बिल में माल तो केजी अंकित किया है परन्तु उसकी केजी की तुलना से 4-5 गुण अधिक मूल्य दर्शाया है, के बारे में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस बाबत् सत्यापन नहीं किया है, इस दृष्टि से भी बिक्री बिल गलत प्रतीत होते हैं इससे प्रतीत होता है मै0 अनुपम मार्बल प्रा0 लि0 ने केश राशि बढ़ाने के लिये ऐसा किया है।

एक बार यह मान भी लिया जाये कि मै0 अनुपम प्रा0 लि0 ने यह केजी प्रत्यर्थी को एसटी—17 पर बिक्री की है, लेकिन इतने बढ़े सौदे को प्राप्त भुगतान प्रत्यर्थी के द्वारा बैंक ट्रैंजेक्शन के जरिये चैक से किया जाना चाहिये था। यह भी मान लिया जाये कि प्रत्यर्थी ने खरीद माल को छुपाया है परन्तु मै0 अनुपम मार्बल लि0 के द्वारा इस बिक्री से प्राप्त भुगतान को बैंक जरिये प्रमाणित करवा कर बिक्री को प्रमाणित करवाते। इस प्रकार मै0 अनुपम मार्बल लि0 के द्वारा तथा कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा प्रत्यर्थी के तथा मै0 अनुपम मार्बल प्रा0 लि0 के खरीद बिक्री के इस सौदे को किसी भी प्रकार से प्रमाणित करवाये जाने में असफल रहते हैं।

इस प्रकरण में आयकर विभाग की ओर से की गयी जांच के आधार पर व आयकर विभाग के अधिकारी द्वारा दिनांक 29.10.2010 को पारित विस्तृत आदेश जिसकी प्रति विभागीय पत्रावली पर पृष्ठ संख्या 44 से 47 पर उपलब्ध है व प्रकरण से संबंधित प्रत्यर्थी द्वारा दायर पुलिस रिपोर्ट पृष्ठ 48 पर है। इन

सभी तर्कों से यह निष्कर्ष पाया जाता है कि प्रत्यर्थी व्यवहार का एसटी-17 मैं
अनुपम मार्बल प्रा० लि० ने अनैतिक रूप से हासिल कर फर्जी तरीके से बिक्री
बताना प्रमाणित होता है। विद्वान् अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में इन
सभी बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुये जो आदेश पारित किया है उसमें
किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 04.09.2013 की पुष्टी करते
हुये अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


(इश्वरीलालवर्मा)

संदस्य



(बी के मीणा)

अध्यक्ष